

राजस्थान सरकार
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय,.....
अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास की मान्यता (पंजीकरण) एवं अनुदान हेतु आवेदक स्वैच्छिक
अभिकरण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

निरीक्षण समिति:

(A)

सदस्य का नाम	पद मय एवं विभाग	निरीक्षण दिनांक
1		
2		
3		
4		

(B)

स्वैच्छिक अभिकरण का नाम (पूरा डाक पता व दूरभाष क्रमांक सहित)	
---	--

(C)

(अ) स्वैच्छिक अभिकरण का पंजीयन क्रमांक	
(ब) स्वैच्छिक अभिकरण की स्थापना का दिनांक	

(D)

क्या संस्था- (अ) सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है?	
(ब) राजस्थान संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है?	
(स) अन्य कोई संगठन से पंजीकृत है?	

(E)

स्वैच्छिक अभिकरण से प्राप्त आवेदन पत्र जिला कार्यालय के आवक पंजिका में दर्ज किये जाने का क्रमांक एवं दिनांक।	
--	--

(F)

क्या स्वैच्छिक अभिकरण द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंकित सभी आर्हताएं/मानदण्ड (मय सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित) पूर्ण करने के आधार पर ही स्वैच्छिक अभिकरण का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
--	--

(G)

1. स्वैच्छिक अभिकरण का कार्यालय क्या स्वयं/किराये के भवन में संचालित है?			
2. क्या स्वैच्छिक अभिकरण द्वारा वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु कोई कार्यक्रम, छात्रावास संचालन सहित, चलाया जा रहा है अथवा चलाया गया? पूर्ण विवरण दें (अलग पृष्ठ पर अंकित करें)।	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	सक्षमस्तर (राजकीय विभाग/अन्य एजेन्सी का नाम)
3. प्रस्तावित जिला मुख्यालय/ अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम जहाँ स्वैच्छिक अभिकरण अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन करना चाहती है।			
4. क्या प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास बालक/बालिका के लिए है ?			
5. प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु स्वयं/किराये/ राजकीय विद्यालय भवन/शिक्षा विभाग के खाली – अनुपयोगी राजकीय छात्रावास भवन/ जिला बक्फ् कमेटी का भवन/भामाशाह द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला भवन होगा ?*			
6. प्रस्तावित संचालित किये जाने वाले अल्पसंख्यक छात्रावास का स्थान एवं पूर्ण पता।			

* प्रस्तावित छात्रावास के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्व जारी आदेशों के तहत शिक्षा विभाग के उपयुक्त खाली विद्यालय परिसर,/ शिक्षा विभाग के खाली – अनुपयोगी राजकीय छात्रावास भवन/ जिला बक्फ् कमेटी का भवन/भामाशाह द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला भवनों की तैयार की गयी सूची के आधार पर संस्था द्वारा उपयुक्त खाली भवन का नाम अल्पसंख्यक छात्रावास के उपयोग में लिए जाने हेतु अंकित किया जाय।

(H) भवन की स्थिति: (संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन की स्थिति, भवन का नजरी नक्शा, प्रत्येक कमरे, प्रत्येक शौचालय एवं स्नानघर की फोटो एवं संपूर्ण भवन की फोटो, निरीक्षण रिपोर्ट के साथ निदेशालय प्रेषित करें।)

1. प्रस्तावित छात्रावास भवन में 50 विद्यार्थियों हेतु 2000 वर्ग फीट तक आवास हेतु स्थान होना चाहिए।)	कमरों की संख्या	साईज	प्रत्येक कमरों में आवासित होने वाले बच्चों की संख्या
	कुल		
2. रसोईघर (रसोई में गैस चूल्हा रखने का स्थान, बर्तन रखने का स्थान हो तथा रसोई कक्ष हवादार होना चाहिए)। रसोईघर मय स्टोर (रसोईघर में खाद्य व अन्य सामग्री हेतु स्टोर अथवा पर्याप्त स्थान का प्रावधान हो। रसोईघर में जल निकास की उचित व्यवस्था हो।)			
3. राशन स्टोर कक्ष (संख्या) एवं रसोईयों की संख्या			

4. भोजन कक्ष/अतिरिक्त कक्ष (छात्रावासियों हेतु उपयुक्त स्थान हों, जहां हाथ धोने आदि की उचित व्यवस्था हो)	
5. वार्डन कार्यालय एवं आवास कक्ष (कार्यालय एवं मिलने का स्थान तथा कार्यालय कक्ष में ही विद्यार्थियों से मिलने आने वाले लोगों के लिए स्थान हो तथा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जावे। वार्डन के रहने हेतु आवास की सुविधा हो।)	
6. सुरक्षाकर्मी आवास एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या (संस्था द्वारा अन्डरटेकिंग)	
7. स्नानघरों की संख्या (50 बैडेड छात्रावास हेतु स्नानघरों की संख्या 6 होनी चाहिए)	
8. शौचालय की संख्या (50 बैडेड छात्रावास हेतु शौचालयों की संख्या 6 होनी चाहिए)	
9. चारदीवारी है अथवा नहीं	
10. बिजली व्यवस्था उपयुक्त है अथवा नहीं	
11. पानी की व्यवस्था(पर्याप्त/अपर्याप्त) नल/हैण्डपम्प /टांका/टैकर	
12. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन हेतु स्थान	
13. पुस्तकालय	
14. भवन परिसर की स्थिति एवं खाद्य रखाव	
15. छात्रावास हेतु वार्डन की व्यवस्था (संस्था द्वारा अन्डरटेकिंग)	
16. छात्रावास भवन में सुरक्षा मापदण्ड यथा अग्नि, निकासी के द्वार, ड्रेनेज सिस्टम संबंधी व्यवस्था का विवरण	
17. अन्य विवरण (यदि उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उल्लेख करना आवश्यक हो)	

(I) निरीक्षण समिति की अनुशंसा:- भौतिक सत्यापन के आधार पर निरीक्षण प्रारूप में अंकित की गयी समस्त सूचनाओं का परीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर पारदर्शी रूप में स्पष्ट निष्पक्ष अंकित किया जाना आवश्यक है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(J) निरीक्षण समिति की अनुशंषा का साराशं:

पात्र संस्था (ओं) का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात (संस्था द्वारा प्रस्तुत आवश्यक एवं निर्धारित दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं प्रस्तावित भवन का निरीक्षण के आधार पर) संस्था (ओं) का प्रस्तावित छात्रावास के संचालन के हेतु की जाने वाली अनुशंषा का साराशं वरीयता क्रम में निम्नानुसार उपयुक्त कॉलम में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	निरीक्षण समिति की भौतिक जाँच के आधार पर आवेदक संस्था प्रस्तावित छात्रावास के संचालन हेतु उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करती है।	विशेष विवरण (यदि तालिका में अंकित किये गये कॉलमों के अतिरिक्त विवरण उल्लेख किया जाना हो तो)

कमेटी सदस्य (1)
हस्ताक्षर मय मोहर

कमेटी सदस्य (2)
हस्ताक्षर मय मोहर

कमेटी सदस्य (3)
हस्ताक्षर मय मोहर

49